<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002512011</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—370 / 11</u> संस्थापित दिनांक—24.08.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :	
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-पप्पू उर्फ भीमरि	संह पुत्र गुमान सिंह जाति बंजारा उम्र
28 साल निवासी ग्राम लकडयाचक थाना चंदेरी।	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:– श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 06.04.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337, 338 एवं 41(6)177, 3/181 एमव्ही एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी कल्ला ने दिनांक 14.04.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने फूफा की मोटरसाईकिल से प्रदीप को बैठाकर साईकिल से डुंगासरा आ रहा था तभी पीछे से एक मोटरसाईकिल बिना नंबर स्टार सिटी का चालक पप्पू बंजारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाता लाया और उसकी मोटरसाईकिल तथा उसे व प्रदीप को टक्कर मार दी जिससे उन्हें चोट आई और मोटरसाईकिल चालक भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 157/11 के अंतर्गत भादिव की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 338, 337 एवं 3/181 एमव्ही एक्ट के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 14.04.11 को समय 15 बजकर 20—30 मिनिट पर ग्राम चकेरी पुलिया के पास सार्वजनिक मार्ग पर मोटरसाईकिल स्टार सिटी एमपी 67 एम 3219 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना द्वायविंग लायसेंस के सार्वजनिक स्थान पर चालन कर धारा 3 मोटरयान अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 आर पी शर्मा, अ.सा. 02 प्रदीप, अ.सा. 03 फूलसिंह, अ.सा. 04 मुन्नालाल, अ.सा. 05 कल्ला, अ.सा. 06 सुमरन कुडापे की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 02 प्रदीप ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को पहचानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह डुंगासरा जा रहा था तब पीछे से पप्पू ने मोटरसाईकिल से टक्कर मार दी थी जिससे वह एवं कल्ला घायल हो गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार वह साईकिल पर पीछे बैठा हुआ था और साईकिल में पीछे से टक्कर लगने से वे लोग गिए गए थे और किस व्यक्ति ने टक्कर मारी थी उसे थोडा—थोडा देख लिया था। अ.सा. 05 कल्ला के अनुसार वह घटना दिनांक को साईकिल से डुंगासरा जा रहा था तब किसी अज्ञात मोटरसाईकिल ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक उन्हें टक्कर मार दी थी जिससे उन्हें चोट आई थी। अ.सा. 04

मुन्नालाल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को पप्पू बंजारा की मोटरसाईकिल से कल्ला एवं प्रदीप को चोट आई थी तथा घटना की सूचना मिलने पर वह तुरंत मौके पर पहुंच गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने टक्कर होते नहीं देखी।

09— अ.सा. 03 फूलसिंह पक्षद्रोही हो गया है तथा उसके अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी एवं लापरवाही से चालित कर टक्कर मारी गई थी जिससे कल्ला एवं प्रदीप को चोटें आई थीं। अ.सा. 01 डॉ आर पी शर्मा द्वारा दिनांक 14.04.11 को आहत कल्ला एवं प्रदीप का मेडिकल परीक्षण करना बताया गया है जिसकी रिपोर्ट प्रपी 01 एवं प्रपी 02 है और उक्त रिपोर्ट के अनुसार दोनों आहतगण को साधारण चोट आई थीं। अ.सा. 06 सुमरन कुडापे जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्शामौका प्रपी 06 तैयार किया गया था और साथ ही साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा प्रकरण में मोटरसाईकिल एवं दस्तावेज प्रपी 08 व प्रपी 09 के अनुसार जप्त किए गए थे।

10— प्रकरण में अ.सा. 02 एवं अ.सा. 05 जो कि मामले के आहतगण हैं ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को वे साईकिल से जा रहे थे और तब एक मोटरसाईकिल ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी। उपरोक्त साक्षीगण में से अ.सा. 02 ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में बताया है कि आरोपी द्वारा ही मोटरसाईकिल से टक्कर मारी गई थी। उक्त तथ्य का अनुसमर्थन अ.सा. 04 की साक्ष्य से हो रहा है। अ.सा. 06 जो कि मामले का विवेचक है उसके द्वारा प्रकरण में मोटरसाईकिल जप्त किया जाना बताया गया है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा आरोपी को मामले में झूटा फंसाया गया है। आरोपी की ओर

से ऐसी कोई साक्ष्य भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी के पास उक्त वाहन को चालित करने का वैध ड्राइविंग लायसेंस था।

- 11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर मानवजीवन संकटापन्न किया गया और साथ ही आरोपी के पास वाहन को चालित करने का वैध ड्राइविंग लायसेंस नहीं था। परिणामतः आरोपी को भादिव की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।
- 12— प्रस्तुत प्रकरण शमन विचारणीय है। अतः आरोपी को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया है तथा आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः आरोपी को भादिव की धारा 279 के आरोप में 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम में आरोपी 3 दिन का साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप में 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम में आरोपी 3 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा।
- 13— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 14— प्रकरण में जप्तशुदा एक काले कलर की टीव्हीएस मोटरसाईकिल बिना नंबर की एवं रजिस्द्रेशन एमपी 67 एम 3219 की फोटोकॉपी एवं इंश्योरेंस ऑरिजनल पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।
- 15— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा

428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)